PUC - 90

राजस्थान सरकार

# कार्यालय जिला कलक्टर,जोधपुर

क्रमांक: राजस्व/एफआरए/2019/ 6866 दिनांक: 11/11/2019

## आदेश

सचिव,जोधपुर विकास प्राधिकरण,जोधपुर द्वारा जोधपुर दुर्ग से बालसमंद सड़क मार्ग को सीधे जोडने एवं बालसमंद से घोडा घाटी मार्ग पर सम्पर्क सड़क निर्माण हेतु 4.39 हैक्टेयर वन भूमि के प्रत्यावर्तन हेतु प्रत्यावर्तित वन भूमि 4.39 हैक्टेयर के समतुल्य ग्राम रावरा तहसील बाप के खसरा नम्बर 207 मे से 4.39 हैक्टेयर वन भूमि वन विभाग के नाम को आवंटन की सहमति प्रदान करने के निवेदन एवं सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण,जोधपुर ने अपने पत्र क्रमांक 1200 दिनांक 11.11.19 द्वारा कायलाना झील के चारो तरफ सड़क निर्माण कार्य में आ रही वन विभाग की 6.1277 हैक्टेयर भूमि के प्रत्यावर्तन हेतु भी ग्राम रावरा तहसील बाप के खसरा नम्बर 207 मे से गैर वन भूमि का उपयुक्त बताते हुए वन विभाग को आवंटन की सहमति प्रदान करने हेतु निवेदन किया गया। प्राधिकरण के निवेदन पर तहसीलदार बाप से ग्राम रावरा तहसील बाप के खसरा नम्बर 207 मे से गैर वन भूमि के वन विभाग के नाम करने हेतु प्रस्ताव चाहे गये।

तहसीलदार बाप ने अपने पत्रांक राजस्व/2019/4437 दिनांक 13.11.2019 के सलंग्न ग्राम रावरा तहसील बाप के खसरा नम्बर 207 कुल रकबा 1313.10 बीघा किस्म गै.मु.मगरा मे से 11.39 हैक्टेयर भूमि मौके पर खाली व अतिकमण मुक्त बताते हुए प्रस्ताव इस कार्यालय को प्रेषित किए गए।

अतः जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर के निवेदन एवं तहसीलदार बाप से प्राप्त प्रस्ताव पर भविष्य में सक्षम स्वीकृति के उपरांत भूमि की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए ग्राम रावरा तहसील बाप के खसरा नम्बर 207 किस्म गै.मु.मगरा में से जोधपुर दुर्ग से बालसमंद सड़क मार्ग को सीधे जोडने एवं बालसमंद से घोडा घाटी मार्ग पर सम्पर्क सड़क निर्माण हेतु रकबा 4.39 हैक्टेयर एवं कायलाना झील के चारों तरफ सड़क निर्माण कार्य हेतु रकबा 6.1277 हैक्टेयर **कुल रकबा 10.5177 हैक्टेयर** भूमि राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 92 के तहत वन **विभाग हेतु आरक्षित (सेट-अपार्ट)** की जाती है। तदनुसार तहसीलदार बाप आरक्षित भूमि के संबंध में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करेगें तथा यह सुनिश्चित करेगें कि आरक्षित भूमि का अन्य प्रयोजन हेतु उपयोग नहीं हो।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला कलक्टर,
जोधपुर
दिनांक: 14/11/2019

क्रमांक: राजस्व/एफआरए/2019/ 6867-72

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. आयुक्त/सचिव,जोधपुर विकास प्राधिकरण,जोधपुर
2. उप वन संरक्षक,वन विभाग,जोधपुर
3. उपखण्ड अधिकारी, बाप/तहसीलदार, बाप
4. रक्षित पत्रावली

(एम.एल.नेहरा)
अपर जिला कलक्टर(प्रथम),
जोधपुर

क्रमांक 5722
दिनांक 21.11.19
कार्यालय उप वन संरक्षक
जोधपुर (राज.)

20/11/19

सत्यापित प्रतिलिपि

उप वन संरक्षक
जोधपुर

Scanned with CamScanner